

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

**न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**मुकाम **चित्तौड़गढ़****शान्तिलाल बुनकार**

बनाम

**लोक सूचना अधिकारी
(जिला परिषद)**किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)**

नं०

037

सन्

2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.07.2022	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो बाद जांच पेश हुई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी शान्तिलाल पिता अमरा जाति बुनकर निवासी बुनकर मौहल्ला, आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ 312205 ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़, के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है एवं लोक सूचना अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपने अपील में कलम संख्या 9 के अनुसार शुल्क का संदेह प्रमाण-पोस्टल ऑर्डर नम्बर 54 एफ 879855 प्रेषित किया गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध होकर हम किता है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत धारा 19 के तहत किसी अपील हेतु किसी भी प्रकार का कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रेषित पोस्टल ऑर्डर अपीलार्थी को लौटाया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (प्रमुख, जिला परिषद चित्तौड़गढ़) के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रेषित पोस्टल ऑर्डर अपीलार्थी को लौटाया जावे एवं पोस्टल ऑर्डर की छाया प्रति रिकार्ड पर रखी जावे। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क मय पोस्टल ऑर्डर के प्रेषित की जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे।</p>	

-S/D-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी

जिला कलक्टर

चित्तौड़गढ़

04.07.2022

